छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ: बिलासपुर जिले पर आधारित अध्ययन

डॉ. सुधा शुक्ला

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, डॉ. सी वी रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

सारांश

भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वशासन से गहराई से जुड़ी हुई है। पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में जनभागीदारी को बढ़ावा मिला। छत्तीसगढ़ राज्य, जो मुख्यतः ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रस्तुत शोध–पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के विशेष संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास की चुनौतियों एवं संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण विकास की योजनाओं को प्रभावी बना सकती हैं तथा किन संरचनात्मक, प्रशासनिक और सामाजिक बाधाओं के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।

मुख्य शब्द : पंचायती राज, ग्रामीण विकास, विकेन्द्रीकरण, जनभागीदारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़

1. प्रस्तावना

ग्रामीण विकास किसी भी विकासशील देश की समग्र प्रगति का आधार होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, वहाँ ग्रामीण विकास की सफलता राष्ट्रीय विकास की दिशा और गति दोनों को निर्धारित करती है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, पंचवर्षीय योजनाएँ तथा विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, किंतु इन कार्यक्रमों की सफलता सीमित रही। इसका प्रमुख कारण योजनाओं का केंद्रीकृत स्वरूप तथा स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी थी।

इसी पृष्ठभूमि में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने की आवश्यकता महसूस की गई। महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा से प्रेरित होकर पंचायती राज संस्थाओं को लोकतंत्र की जड़ के रूप में स्वीकार किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में एक नई दिशा दी। छत्तीसगढ़ राज्य में भी पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण विकास की रीढ़ के रूप में कार्य कर रही हैं। बिलासपुर जिला, जो प्रशासनिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस अध्ययन के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करता है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध–पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन करना।
- बिलासपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से संचालित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का विश्लेषण करना।
- ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।
- पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करना।

- पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध पद्धति

यह अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। शोध के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सचिवों तथा ग्रामीणों से प्राप्त सूचनाएँ सम्मिलित हैं, जबकि द्वितीयक स्रोतों में सरकारी रिपोर्टें, जनगणना आँकड़े, शोध पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएँ एवं विश्वसनीय वेबसाइटें शामिल हैं। अध्ययन क्षेत्र के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले का चयन किया गया है।

4. पंचायती राज व्यवस्थाः एक संक्षिप्त परिचय

पंचायती राज व्यवस्था भारत में त्रि–स्तरीय ढाँचे पर आधारित है—

- ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर)
- जनपद पंचायत (खंड स्तर)
- जिला पंचायत (जिला स्तर)

73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय सौंपे गए, जिनमें कृषि, ग्रामीण आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण आदि प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत इन संस्थाओं का गठन एवं संचालन किया जाता है।

5. बिलासपुर जिले में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख जिला है, जहाँ ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है। यहाँ पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेंशन योजनाएँ, पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम जैसे अनेक विकासात्मक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आवास सुविधा, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण तथा आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

5.1 बिलासपुर जिले की पंचायती राज संरचना

- बिलासपुर जिले में पंचायती राज व्यवस्था त्रि–स्तरीय ढाँचे पर आधारित हैकृ
- ग्राम पंचायतें – जो ग्रामीण शासन की सबसे निचली एवं आधारभूत इकाई हैं।
- जनपद पंचायतें – जो विकासखंड स्तर पर योजनाओं के समन्वय और क्रियान्वयन की भूमिका निभाती हैं।

जिला पंचायत, बिलासपुर दृ जो जिले स्तर पर विकास योजनाओं की निगरानी, नियोजन एवं संसाधन वितरण का कार्य करती है। इन संस्थाओं का गठन छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत किया गया है। ग्राम सभा को ग्रामीण लोकतंत्र की आत्मा माना गया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण जनता सीधे विकास प्रक्रिया में सहभागी बनती है।

5.2 ग्राम पंचायतों की भूमिका

बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की प्रथम इकाई के रूप में कार्य करती हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से—

- गाँव की आवश्यकताओं की पहचान की जाती है,
- वार्षिक ग्राम विकास योजना तैयार की जाती है,
- विभिन्न सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है,
- ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।

ग्राम पंचायतें स्वच्छता, पेयजल, आंतरिक सड़कें, नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट, प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

5.3 जनपद पंचायतों का योगदान

बिलासपुर जिले में जनपद पंचायतें ग्राम पंचायतों और जिला पंचायत के बीच सेतु का कार्य करती हैं। ये पंचायतें—

- विकासखंड स्तर पर योजनाओं का समन्वय,
- तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग,
- ग्राम पंचायतों की निगरानी,
- लाभार्थियों के चयन में सहायता जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।

जनपद पंचायतों के माध्यम से कृषि विस्तार सेवाएँ, पशुपालन, सिंचाई योजनाएँ, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं महिला स्व–सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

5.4 जिला पंचायत, बिलासपुर की भूमिका

जिला पंचायत बिलासपुर जिले के ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था है। इसके माध्यम से—

- जिला स्तर पर समेकित विकास योजना का निर्माण,
- राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन,
- वित्तीय संसाधनों का वितरण,
- विकास कार्यों की समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जाता है।

जिला पंचायत ग्रामीण सड़कों, पुलों, जल संरक्षण संरचनाओं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

5.5 प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

बिलासपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अनेक ग्रामीण विकास योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें प्रमुख हैंकृ

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

यह योजना ग्रामीण रोजगार सृजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिलासपुर जिले में पंचायतों के माध्यम से—

- ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार,
- जल संरक्षण,

- भूमि सुधार,
- वृक्षारोपण
- जैसे कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि हुई है।

(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

इस योजना के अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम पंचायतें लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन एवं निर्माण की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

(ग) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

बिलासपुर जिले में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में पंचायतों की भूमिका सराहनीय रही है। शौचालय निर्माण, खुले में शौच से मुक्ति तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में पंचायतों ने सक्रिय सहभागिता निभाई है।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्व–सहायता समूहों का गठन किया गया है। पंचायतों के सहयोग से महिलाओं को स्वरोजगार, लघु ऋण एवं प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हो रही है।

5.6 सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास

पंचायती राज व्यवस्था ने बिलासपुर जिले में सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने में भी योगदान दिया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने उन्हें राजनीतिक सहभागिता एवं नेतृत्व के अवसर प्रदान किए हैं। इससे ग्रामीण समाज में लोकतांत्रिक चेतना का विकास हुआ है।

5.7 जनभागीदारी एवं ग्राम सभा

ग्राम सभा ग्रामीण विकास की आधारशिला है। बिलासपुर जिले में ग्राम सभाओं के माध्यम से—

- योजनाओं का अनुमोदन,
- लाभार्थियों का चयन,
- सामाजिक अंकेक्षण

जैसे कार्य किए जाते हैं। इससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना को बल मिलता है।

यद्यपि बिलासपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, तथापि अभी भी वित्तीय सीमाएँ, तकनीकी दक्षता का अभाव, तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं। इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण विकास को स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

6. ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका

पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण विकास में निम्नलिखित भूमिकाएँ निभाती हैं—

- योजनाओं का स्थानीयकरण: स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का निर्माण।
- जनभागीदारी: ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- संसाधनों का प्रबंधन: स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग।
- सामाजिक न्याय: अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण।
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही: सामाजिक अंकेक्षण एवं सार्वजनिक निगरानी।

7. पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

यद्यपि पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण विकास का एक प्रभावी माध्यम हैं, तथापि इनके समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं—

- वित्तीय संसाधनों की कमी: पंचायतों की सीमित आय।
- प्रशासनिक हस्तक्षेप: वास्तविक स्वायत्तता का अभाव।
- शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कमी: जनप्रतिनिधियों में प्रशासनिक दक्षता का अभाव।
- राजनीतिक प्रभाव: स्थानीय राजनीति का अत्यधिक हस्तक्षेप।
- जनजागरूकता की कमी: ग्रामीणों में अधिकारों एवं कर्तव्यों की अपर्याप्त जानकारी।

8. ग्रामीण विकास की संभावनाएँ

पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास की व्यापक संभावनाएँ विद्यमान हैं—

- डिजिटल पंचायतों का विकास
- स्थानीय नेतृत्व का सशक्तिकरण
- महिला सहभागिता में वृद्धि
- आत्मनिर्भर ग्राम की अवधारणा
- सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति

9. सुझाव

ग्रामीण विकास को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

- पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ।
- जनप्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
- ग्राम सभाओं को अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाया जाए।
- सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाए।
- सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य एवं पारदर्शी बनाया जाए।

10. निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास का एक सशक्त माध्यम है। बिलासपुर जिले के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि

यदि पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार, संसाधन एवं प्रशिक्षण प्रदान किए जाएँ, तो ग्रामीण विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है। चुनौतियों के बावजूद, संभावनाएँ अधिक व्यापक हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पंचायती राज व्यवस्था को वास्तविक अर्थों में स्वायत्त, सहभागी एवं उत्तरदायी बनाया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- भारत सरकार. (1992). संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम. नई दिल्ली।
- छत्तीसगढ़ शासन. (2023). पंचायती राज विभाग वार्षिक प्रतिवेदन. रायपुर।
- मिश्रा, बी. एल. (2018). पंचायती राज और ग्रामीण विकास. नई दिल्लीरू पीएचआई।
- सिंह, के. एन. (2019). ग्रामीण विकासरू सिद्धांत और व्यवहार. नई दिल्लीरू ज्ञान पब्लिशिंग।
- योजना आयोग. (2015). ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन. नई दिल्ली।